न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	35/2022	25.02.2022	44/25 (2025/71)	16.01.2025	28.11.2025	1 लगायत 4
2	42/2023	12.09.2023				

1 श्रीलाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी चूली (छाहरा) तहसील गंगापुर सिटी।
2 कैलाश पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी चूली (छाहरा) तहसील गंगापुर सिटी।
3 मुंशी पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी चूली (छाहरा) तहसील गंगापुर सिटी।
4 मु0 फूलों बैवा धन्ना जाति गुर्जर निवासी चूली (छाहरा) तहसील गंगापुर सिटी।
5 लल्लू पुत्र सुखलाल जाति गुर्जर निवासी चूली (छाहरा) तहसील गंगापुर सिटी।

–––– अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा
रेस्पोडेन्ट की ओर से– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील ग्राम चूली के नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 स्वीकृति दिनांक 28.04.2022 वाके ग्राम चूली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 स्वीकृति दिनांक 28.04.2022 द्वारा ग्राम चूली में स्थित भूमि खं0नं0 377 कुल रकबा 0.54 है0 किस्म बारानी में से 0.29 है0 भूमि किस्म चरागाह की गई। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि आराजी खं0नं0 377 रकबा 0.54 है0 भूमि वाके ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी के बाबत् एक दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां विचाराधीन है। जिसके साथ अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इन्ही खसरा नम्बरों के बाबत् पेश किया, जिसमें न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.03.2018 को वादग्रस्त भूमि खं0नं0 377 रकबा 0.54 है0, खं0नं0 2066 में से 0.30है0, खं0नं0 2067 में से 0.22 है0 भूमि ग्राम चूली के बाबत् रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दावे के अंतिम निर्णय तक बनाये रखने के आदेश जारी किये। परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश नजर अन्दाज करते हुए विवादित भूमि खं0न0 377 रकबा 0.54 है0 ग्राम चूली के इन्द्राज में बदलाव करते हुए खं0नं0 377 के 0.29 है0 रकबे को सिवायचक बारानी दोयम के स्थान पर चरागाह भूमि के रूप में दर्ज करने हेतु विवादित नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना की तारीफ में आता है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में केवल मात्र तहसीलदार गंगापुर सिटी ही लैण्ड होल्डर के रूप मे पक्षकार है तथा प्रकरण में चल रही कार्यवाही में वह स्वंय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे है। ऐसी स्थिती में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध व अवैधानिक होने के कारण प्रारम्भतः देखने मात्र से ही निरस्त होने योग्य है। विवादित नामान्तकरण के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 को तस्दीक होना कम्प्यूटर में दर्शा दिया गया, जबकि वास्तव में उक्त नामान्तकरण दिनांक 28.04.2022 को तस्दीक व स्वीकार किया जो नामान्तकरण पर स्पष्ट रूप से अंकित है, अर्थात नामान्तकरण खोलने व स्वीकार करने में भी पटवारी हल्का व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिलीभगत स्पष्ट प्रमाणित होती है तथा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय मिसरिप्रजेन्टेशन व फ्रोड के आधार पर खोला व तस्दीक किया जाना प्रमाणित है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 तस्दीक दिनांक 28.04.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया [illegible] उक्त स्थगन आदेश की जानकारी तत्समय नहीं थी, ना ही अपीलार्थी द्वारा उक्त [illegible] के संबंध में कोई जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

रेस्पोडेन्ट को अवगत करायी गई थी। उक्त नामान्तकरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त अपील अस्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 तस्दीक दिनांक 28.04.2022 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष
द्वारा अपने पक्ष में न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मिसल सं0
110/2023 उनवान श्रीलाल व अन्य बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी के
निर्णय दिनांक 20.03.2018 की प्रमाणित प्रति , मिसल नं0 174/13 उनवान श्रीलाल
बनाम लैण्ड होल्डर की आदेशिका दिनांक 18.05.2022 तथा दावा प्रार्थना पत्र की
प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी ने मिसल
सं0 110/2023 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2018 द्वारा अप्रार्थी को ताफैसला दावा
जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया है कि वह ताफैसला दावा आराजी
ख0नं0 377 रकबा 0.54 एयर, ख0नं0 2066 में से 30 एयर, ख0नं0 2067 में से 22
एयर भूमि स्थित ग्राम चूली के रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे तथा मिसल सं0
174/13 द्वारा वादी पक्ष ने तथा दावा आराजी ख0नं0 377 रकबा 0.54 एयर, ख0नं0
2066 में से 30 एयर, ख0नं0 2067 में से 22 एयर भूमि स्थित ग्राम चूली के वादीगण
खातेदार काश्तकार है, उक्त भूमि सिवायचक से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी
में दर्ज करने व इसी अनुसार समस्त रेवन्यु रिकोर्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती
करने हेतु अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 18.05.2022 के
अनुसार उक्त वाद बहस स्तर पर विचाराधीन है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी द्वारा वर्ष 2018 से विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया गया
है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तकरण वर्ष 2022 में तस्दीक किया
है। वर्ष 2018 से 2022 तक विगत चार वर्षो में उक्त स्थगन आदेश की जानकारी
रेस्पोडेन्ट पक्ष तहसीलदार गंगापुर सिटी को नहीं होना, न्यायोचित प्रतीत नहीं लगता है
तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.03.
2018 में नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी पैरोकार सरकार की उपस्थिती अंकित की
हुई है। ऐसी स्थिती में स्पष्ट है कि उक्त निर्णय की जानकारी तहसीलदार गंगापुर
सिटी को पूर्व से ही थी। न्यायालय के स्थगन [illegible] पश्चात् भी विवादित भूमि का
नामान्तकरण तस्दीक करना न्यायालय की अ[illegible] की श्रेणी में आता है। अदालत
मातहत द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तकरण जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 44/25 उनवान श्रीलाल वगै0 बनाम सरकार

कलेक्टर सवाई माधोपुर कमांक प.12 (6)(2)(265) भू0आ0/राजस्व/22/1621 दिनांक 04.03.2022 के आदेशानुसार तस्दीक किया गया है। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 04.03.2022 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश द्वारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने ग्राम चूली में स्थित भूमि खं0नं0 2074 रकबा 43.02 है0 में से 0.29 है0 किस्म चरागाह से श्मशान हेतु आरक्षित की गई तथा चरागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम चूली के खं0नं0 377 रकबा 0.29 है0 किस्म सिवायचक भूमि को चरागाह हेतु आरक्षित की गई हैं। तत्कालीन तहसीलदार/भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का द्वारा उक्त विवादित भूमि का प्रस्ताव चरागाह हेतु आरक्षित करने हेतु भिजवाते समय उक्त भूमि संबध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है का अंकन कर भिजवाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्यों का अंकन नहीं कर न्यायालय हाजा में वाद की बहुलता (Litigetion) को बढावा देने का तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की अवमानना का कार्य किया है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2006 दिनांक 26.04.2022 वाके ग्राम चूली निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वह विवादित भूमि के स्थान पर अन्य सिवायचक भूमि का प्रस्ताव चरागाह हेतु आरक्षित करने के कम में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत करे तथा कार्यालय तहसीलदार गंगापुर सिटी से कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को प्रेषित क्षतिपूर्ति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले तहसीलदार/भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का के नाम, वर्तमान पद व पदस्थापन का विवरण मय क्षतिपूर्ति प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को सात दिवस में भिजवाने हेतु पृथक से तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे व प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार आरोप पत्र पृथक से तैयार किये जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी